1. हुकमसिंह पुत्र श्री पोकरराम फौत के कायम मुकामः–
   1.1. श्रीमती शारदा पत्नी स्व. हुकमसिंह
   1.2. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. हुकमसिंह
   1.3. श्री सुरेन्द्र पुत्र स्व. हुकमसिंह
   1.4. राकेश पुत्र स्व. हुकमसिंह
   1.5. धमेन्द्र पुत्र स्व. हुकमसिंह
   1.6. श्रीमती माया पुत्री स्व. हुकमसिंह
2. नेमीचंद पुत्र श्री पोकरराम

   जातियान माली, निवासीगण मन्दिर वाला बेरा, माता का थान, मगरा पूंजला, जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. भारतसिह पुत्र श्री पोकरराम फौत के कायम मुकामः–
   1.1. श्रीमती शंकुतला पत्नी स्व. श्री भारतसिंह
   1.2. झूमरसिंह स्व. श्री भारतसिंह
   1.3. दुर्गेशसिंह पुत्र स्व. श्री भारतसिंह
   1.4. गोविन्दसिंह पुत्र श्री भारतसिंह

   सभी जातियान माली, निवासीगण मन्दिर वाला बेरा, माता का थान, मगरा पूंजला जोधपुर।
   1.5. श्रीमती ज्योति पत्नी श्री ललित पुत्री स्व. श्री भारतसिंह जाति माली निवासी– जसवन्त सागर, ग्राम आंगणवा जिला जोधपुर।
   1.6. श्रीमती सुमन पत्नी दलपतसिंह जी पुत्री स्व. श्री भारतसिंह, जाति माली निवासी– कागा कॉलोनी, शीतला माता मन्दिर के पास जोधपुर।
   1.7. श्रीमती मंजू पत्नी श्री सुरेश जी पुत्री स्व. श्री भारतसिंह, जाति माली, निवासी– भाभा कॉलोनी, फूलबाग स्कुल के पास, मण्डोर जोधपुर
2. रामस्वरूप पुत्र श्री पोकरराम
3. लूणसिंह पुत्र श्री पुसाराम
4. पृथ्वीसिंह पुत्र श्रीं पुसाराम
5. अचलाराम पुत्र श्री तिलाराम
6. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री तिलाराम
7. अरुणसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणराम
8. रामसिंह उर्फ नवीन पुत्र श्री लक्ष्मणराम
9. श्रीमती जशोदा पत्नी श्री लक्ष्मणराम

   सभी जातियान माली निवासीगण मन्दिर बाला बेस माता का थान मगरा पूंजला जोधपुर।

10. मगाराम पुत्र श्री भूराराम, जाति माली, निवासी मन्दिर वाला बेरा माता का थान, मगरा पूंजला जोधपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर दिनांक 11 मई 2023 राजस्व वाद संख्या 14/2023 हुकमसिंह बनाम भारतसिंह इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–

श्री अषोक चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री एम.डी. बूब, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार से छः
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात से नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2023 हुकमसिंह बनाम भारतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 09 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 238, 238/1, 236, 237, 239 एवं 240 कुल रकबा 72.11 बीघा ग्राम पूंदला तहसील जोधपुर के संबंध में एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेष किया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण/रेस्पो. संख्या चार से छः की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 07 नियम 11 सीपीसी पेष किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों एवं बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट्स का वाद इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट्स द्वारा वाद में समस्त खातेदारों को

पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वाद के मुख्य खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था तथा किन खातेदार को पक्षकर नहीं बनया गया, यह तथ्य न तो प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 में अंकित किया गया है और न ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है कि अपीलांट्स ने अमुख–अमुख व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह नैतिक दायित्व था कि वादी के द्वारा वाद में सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो वादी को इस आशय का अवसर दिया जाना चाहिए था कि वह आगामी तारीख तक वाद के समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार के रूप में जोड़े अन्यथा वादी का वाद खारिज कर दिया जाएगा, किंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को बिना अवसर प्रदान किए ही उनके वाद खारिज कर दिया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में मघा बनाम भूरा का हिस्सा वादीगण को बेचान करने का तथ्य अंकित करते हुए उक्त हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किए जाने के संबंध में वादीगण के पक्ष में वैद्य दस्तावेज निष्पादित न होने के आधार पर उक्त इस्तदुआ स्वीकार किए जाने योग्य नहीं मानकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जबकि वादीगण के पक्ष में उक्त भूमि के सहखातेदार मगा पुत्र भूरा के द्वारा अपने बंट हिस्से की भूमि के बाबत् काफी समय पूर्व ही दस्तावेज निष्पादित कर दिया। मघा पुत्र भूरा के द्वारा वादीगण के पूर्व पुरुष पोकर पुत्र उदा के हक में उक्त दस्तावेज निष्पादित किए गए, किंतु तत्समय उक्त दस्तावेजों का किसी कारणवशं पंजीयन नही करवाया जा सका।उक्त दस्तावेज अपंजीबद्ध होने के आधार पर ही वादीगण के द्वारा उक्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में उनका भूमि अपने नाम दर्ज नहीं करवाई जा सकती बल्कि किंतु उक्त दस्तावेज अपंजीबद्ध होने का अर्थ यह कतई नहीं लगाया जा सकता कि वादीगण के द्वारा उक्त भूमि खरीद ही नहीं की गई हो, जबकि वादीगण के द्वारा मघा पुत्र भूरा से उसका हिस्सा अपंजीबद्ध दस्तावेजों के द्वारा खरीद कर लिया गया था, चूंकि उक्त दस्तावेज अपंजीबद्ध है। वादीगण द्वारा अपंजीबद्ध दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही गई थी, किंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण की उक्त इस्तदुआ को अस्वीकार कर वाद खारिज

किया गया है जो पूर्णतया गलत खारिज किया गया, क्योंकि वादीगण के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित होने के कारण उक्त वाद खारिज नहीं किया जा सकता था। वादगस्त भूमि के सहखातेदार मघा पुत्र भूरा के बंट व हिस्से की जो भूमि आती है, उससे प्रत्यर्थीगण के द्वारा हड़पने के प्रयास के चलते वादीगण के वैद्य दस्तावेजों को अवैध बता कर उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूमि राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के नाम दर्ज किए जाने पर आपति की गई थी, ताकि प्रत्यर्थीगण इस आशय के तथ्य लिखकर कि उक्त भूमि मघा पुत्र भूरा के द्वारा उदा पुत्र तुलसीराम को बेचान की गई है अर्थात जो भूमि मघा पुत्र भूरा के द्वारा वादीगण के पूर्व पुरुष पोकर पुत्र उदा को बेचान की गई है, प्रत्यर्थीगण के द्वारा झूठे तथ्य अंकित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रत्यर्थी द्वारा अंकित तथ्यों को दोहराते हुए ही उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गंभीर भूल कारित की है। अपीलार्थीगण/वादीगण उक्त भूमि के पुस्तैनी खातेदार होने के कारण तथा अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का विभाजन करवाने और उक्त भूमि की खातेदारी की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकार है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के उक्त अधिकार को नजर अंदाज कर वादीगण का वाद पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में तकनीकी आधार पर खारिज कर गंभीर विधिक भूल कारित की है, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का यह नैतिक दायित्व था कि वह वादीगण को शेष रहे खातेदार को पक्षकार के रूप में जोड़ने का निर्देश प्रदान करना चाहिए था।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मई 2023 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जावे कि वह अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को पुनः दर्ज कर प्रस्तुत वाद को मैरिट पर निर्णित करे।

जबाब में अधिवक्तागण–रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस एवं तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स के पूर्वज उदा पुत्र तुलसीराम की मगाराम पुत्र भूराराम एवं चून्नी, चन्दा पिसरान् केसा से खरीदसुदा भूमि है। स्व. श्री

उदा वल्द तुलसीराम के चारो पुत्रो द्वारा दिनांक 06.07. 1995 को सहमति पत्र लिखा गया, जिस पर अपीलान्टस् के पिता पोकर के भी हस्ताक्षर मौजूद है। सहमति के आधार पर स्व. उदा के चारो पुत्रो का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं मौके पर बंटवाडा हो चुका है। स्व. उदा के सभी वारिसान अलग–अलग हिस्सो पर मौके पर काबिज है एवं स्व. उदा के वारिसान ने सैकण्डो भूखण्ड अलग–अलग व्यक्तियो को विक्रय किये है, जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की जमाबन्दी की छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। वादीगण स्व. श्री मगाराम पुत्र भूराराम के हिस्से की जमीन की खातेदारी घोषित करवाना चाहते है, जबकि मगाराम पुत्र भूराराम ने अपना हिस्सा स्व. उदा को विक्रय कर दिया था एवं स्व उदा के वारिसान् मगा पुत्र भूरा से प्राप्त कृषि भूमि सैकड़ो व्यक्तियो को भूखण्डो के रूप में विक्रय कर चुके है। जमाबन्दी में वर्णित खरीददार (सह–खातेदार) आवश्यक पक्षकार है, उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलान्टस् को खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस् अपने पिता द्वारा निष्पादित सहमति पत्र से बाध्य एवं पाबन्द है। अपीलान्टस् को अपने पिता द्वारा निष्पादित सहमति पत्र के विरूद्ध कथन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन दस्तावेजो की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है, प्रथम तो वे दस्तावेज न तो प्रॉपरली स्टाम्पड है एवं न ही रजिस्टर्ड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अपीलान्टस् ने जिन दस्तावेजो की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की है उनमे न तो खसरा नम्बर अंकित है एवं न ही जमीन का रकबा अंकित है। अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात् सन् 1952 के पहले के है। अपीलान्टस् ने जिन–जिन व्यक्तियो के दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उनके नाम कभी भी किसी भी स्टेज पर राजस्व रिकार्ड में अकित नहीं किये गये थे। दिनांक 20.07.1952 को बापी पटटे में उदा वल्द तुलसीराम का 4/11 हिस्सा, चुन्नीलाल, चन्दा एवं मगा वल्द भूरा के विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टस् को बापी पट्टे के विपरीत 70 वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस की तरफ से वादपत्र में वर्णित तथ्यो के विपरीत पोकर के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र की जो छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, वह दस्तावेज भी न तो प्रोपरली स्टाम्पड है एवं न ही रजिस्टर्ड है। दस्तावेज में जिन विक्रेताओ का नाम अंकित किया गया है, वे वादग्रस्त कृषि भूमि के कभी खातेदार ही

नहीं रहे है। उपरोक्त दस्तावेज दिनाक 02.06.1945 का बताया गया है, जबकि दिनांक 20.07.1952 को अर्थात् लगभग 7 वर्षों के पश्चात् बापी पट्टे मे उदा वल्द तुलसीराम का नाम सक्षम अधिकारी द्वारा दर्ज कर दिया गया था। अगर अपीलान्टस के पिता पोकर द्वारा मगा पुत्र भूरा का हिस्सा खरीद किया जाता तो बापी पट्टे मे उदा वल्द तुलसीराम का नाम सन् 1952 में अंकित नहीं किया जाता। अपीलान्टस् ने सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बापी पट्टे के सम्बन्ध मे सम्बन्धित विभाग के समक्ष न तो आपति की एवं न ही बापी पट्टे को रद्ध करने की प्रार्थना वादपत्र में की गयी है। अपीलान्टस की तरफ से जिन दस्तावेजो की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत गयी की है, उसमे विक्रेता अथवा गिरवी रखने वालो के नाम अंकित किये गये है। वे वादग्रस्त कृषि भूमियो के कभी खातेदार ही नहीं रहे। राजस्व रिकार्ड में उनका कभी भी नाम नहीं आया। अपीलान्टस ने जमीनो की कीमते बढ़ जाने के कारण सरासर फर्जी दस्तावेज बनाकर स्व. मगा पुत्र भूरा द्वारा विक्रय किया गया हिस्सा हडपने का असफल प्रयास किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 की तरफ से प्रस्तुत लिखित बहस को कन्सीडर करने के पश्चात् अपीलान्टस का वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादीगण के वाद को विधि बाधित मानते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गहन परिषीलन किया गया। वादीगण के वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी अपने पिता पोकर वल्द उदा द्वारा मंगाराम पत्र भूराराम से प्रतिफल राषि 400/– में खरीद किया जाना बताया है तथा उक्त खरीद के आधार पर प्रतिवादी संख्या 10 के नाम दर्ज भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट्स का अपने ने वाद में कथन है

कि प्रतिवादी संख्या 10 ने अपने हक हिस्से की भूमि का एक रहननामा भोमा, धोकल. मुकनों पुत्रान भैराराम के पक्ष में लिखा। तत्पश्चात उक्त भूमि का बेचान दिनाक 17.05. 1938 को भोमा, धोकल. मुकनो पुत्रान् भैराराम सुथार को किया। फिर मोमा सुधार वगैरा ने उक्त भूमि बिरदो जी वल्द पूनो जी को बेचान कर दी तथा बिरदों जी वल्द पूनों जी ने उक्त भूमि पोकर वल्द उदा को दिनाक 02.06.1945 को बेचान कर दी। अपीलांट्स स्वयं को पोकर वल्द उदा के विधिक वारिसान् बताते है।

रेस्पो./प्रतिवादीगण का यह कथन है कि चुन्नीलाल न चंदा बेटा केसूरा व गंगा वल्द भूरा ने अपने हक व बट की भूमि यानि 4/11 हिस्सा उदा पुत्र तुलसीराम को बेचान कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 20.07.1952 को बापी पट्टा जारी हो गया, जिस पट्टे को स्वयं वादीगण भी स्वीकार करते है। दिनांक 20.07.1952 के बापी पट्टे में यह अंकित है कि चुन्नीलाल ने चंदा बेटा केसुरा बहिस्सा बराबर व मगा वल्द भूरा ने अपना बापी हक उदा को रूपये 400/– में बेचान कारकूट कर कब्जा दिया, म्युटेशन किया। रेस्पोडेंट्स के उक्त कथनों की पुष्टि उनकी ओर से फार्म संख्या तीन के साथ प्रस्तुत बापी पट्टा दिनाक 20.07.1952 की कैफियत में अंकित इस आषय के नोट से होती है। रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 06.07.1995 में वादीगण के पिता पोकरराम पुत्र उदाराम सहित अन्य पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 236 एवं 237 में अपने–अपने कब्जे काष्त की हदूदे बतायी गई है तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा होना बताकर अपना–अपना कब्जा काष्त एवं हक–हिस्सा स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स के पिता द्वारा निष्पादित सहमति से से अपीलांट्स स्वयं भी पाबंद है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपने वाद पत्र के साथ अनरजिस्टर्ड बेचान की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार भी अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई हक या अधिकार पैदा नहीं होते है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के समस्त सहखातेदारों को भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टात 2012(8) SCC 706 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे वादों को प्राथमिक स्तर पर (nip it in the bud at the first hearing) ही खारिज कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय उक्त न्यायिक उद्धरण में प्रतिपादित सिद्धांत के

आलोक में वादीगण का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत विधिसम्मत आदेष पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतःअपील अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2023 हुकमसिंह बनाम भारतसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मई 2023 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर